तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टीए / 2005 / 385 / बूंदी** **भूरा बनाम रामकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :–
श्री आर. के. शर्मा, अभिभाषक के ब्रीफ होल्डर
श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो.
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 18 जनवरी, 2021

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व तरमीम नक्शा का सहायक कलेक्टर (मु.) बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फालेन्डा की जमाबन्दी संवत 2051–54 में खसरा नम्बर–270/1 की 5 बीघा भूमि का वादी खातेदार अंकित है तथा वादी ने एक वाद पत्र में स्वयं की खातेदारी भूमि का स्थान दर्शाने हेतु एक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर उक्तानुसार अभिवचन करते हुये स्थाई निषेधाज्ञा अपीलर्थीगण के विरूद्ध जारी करने का अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की तथा भूमि खसरा नम्बर 270/1 को तरमीम कराये जाने बाबत प्रार्थना अंकित की गई। विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण ने नोटिस प्राप्त होने के बाद अभिभाषक नियुक्त किया। अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने बिना किसी आधार के नो–स्ट्रंक्शन दिनांक 11–6–1999 को प्लीड कर दिया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने मात्र वादी–प्रत्यर्थी संख्या–1 को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित कर दी तथा वादी के कहेनुसार ही तरमीम किये जाने बाबत आदेश पारित कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टीए / 2005 / 385 / बूंदी** **भूरा बनाम रामकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अत्यन्त ही अवैधानिक तरीके से अपने निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 6–11–2004 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को मियाद बाहर होना मानकर एवं सारहीन मानकर निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने से द्वितीय अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील का निस्तारण करते हुये समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना कोई विवेचन, विश्लेषण किये अपील को मियाद बाहर मानकर तथा गुणावगुण पर सारहीन होना मानकर निरस्त करने में भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय ने समुचित प्रक्रिया अपनाये बिना ही मात्र अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा नो–स्ट्रंशन कथन किये जाने के आधार पर ही एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये। इस कारण भी अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

5– उन्होंने आगे कथन किया कि यह कि विचारण न्यायालय ने समुचित प्रक्रिया अपनाये बिना ही मात्र अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा नो–स्ट्रंक्शन कथन किये जाने के आधार पर ही एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर दिये, जबकि आर.एल.डब्ल्यू. पार्ट–द्वितीय पृष्ठ–1071 श्रीमती मंजू बनाम कृष्ण गोपाल के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है उसके अनुसार न्यायालय को मात्र अभिभाषक के नो–स्ट्रेक्शन कथन से एकतरफा कार्यवाही नहीं करनी चाहिये अपितु सम्पूर्ण कार्यवाही अपनाई जाकर आगामी कार्यवाही की जानी चाहिये। किन्तु विचारण न्यायालय ने इस सिद्धान्त के विपरीत अपना निर्णय पारित किया है व अपील अधिकारी जी ने इन विधिक तथ्यों को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टीए / 2005 / 385 / बूंदी** **भूरा बनाम रामकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नजरअन्दाज कर अवैधानिक तरीके से अपीलार्थीगण की अपील निरस्त करने की जो आज्ञप्ति दिनांक 6-11-2004 को पारित की है वह द्वितीय अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार किये जाने एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 6- विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय ने रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय में अपील को मियाद बाहर माना है और इसी आधार पर उन्होंने प्रथम अपील खारिज की है। इस प्रकार उक्त दोनों निर्णय विधिसम्मत व तर्कसंगत हैं। हस्तगत अपील में ऐसे कोई सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे अपील स्वीकार की जा सके। अतः हस्तगत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। 7- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 8- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि दिनांक 6-11-1999 को विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने **"No Instruction Plead"** किया था। विचारण न्यायालय को इसके बाद प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करना चाहिये था। लेकिन विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं किया अपितु प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर प्रकरण का निर्णय एकतरफा कर दिया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि प्रकरण में जमाबन्दी की प्रति भी संलग्न नहीं है और दावा सिद्ध मान लिया गया। जब दावे में कथन किया गया था कि वादी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 270/1 रकबा 5 बीघा को तरमीम करें और अपीलार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें। जब वादी ने अपनी खातेदारी का कोई दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किया। कब्जे के बाबत कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किये, फिर किस आधार पर दावा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील डिक्री / टीए / 2005 / 385 / बूंदी</u>** **भूरा बनाम रामकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सिद्ध माना गया? इस प्रकार विचारण न्यायालय ने जो दावा डिक्री किया वह विधि के विरूद्ध था इसलिये उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

9– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपील का निर्णय करते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि विचारण न्यायालय में जब अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने **"No Instruction Plead"** किया था तो अपीलीय न्यायालय को उनको सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय देना चाहिये था लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने केवल मियाद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर अपील निरस्त कर दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राजस्व मण्डल ने अनेक निर्णयों में अपना अभिमत प्रकट किया है कि केवल तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज नहीं करना चाहिये। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने **"No Instruction Plead"** होने के बावजूद प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने भी केवल मियाद अधिनियम की धारा–5 के आधार पर प्रथम अपील निरस्त कर दी जबकि उनको गुणावगुण पर भी प्रकरण में निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं था इसलिये यह निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

10– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह हस्तगत् अपील स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी का निर्णय दिनांक 15–10–1999 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 6–11–2004 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टीए / 2005 / 385 / बूंदी** **भूरा बनाम रामकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए